न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व विविध :– 85/2019

1. पूर्ण सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जट सिख निवासी ढींगावाली जाटान चक 9 एच एच वार्ड न0 2, पोस्ट ऑफिस 11 एच एच तह0 व जिला श्री गंगानगर।
2. काका सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जट सिख निवासी ढींगावाली जाटान,पोस्ट ऑफिस ढींगावाली 11 एच एच तह व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

स्टेट आफ राजस्थान – जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–06.12.2019

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के नाम चक 11 एच एच तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 5/8, मु0 न0 18,19,30 की कुल 11.638 हे0 में कृषि भूमि दर्ज है, जिसमें वादी सं0 1 के नाम 1.454 हे0 व वादी सं0 2 के नाम 1.391 हे0 दर्ज है, जमाबंदी की नकल शामिल है। वादी सं0 1 का सही नाम पूर्ण सिंह तथा वादी सं0 2 का सही नाम काका सिंह है, वादी सं0 1 के नाम फोटोयुक्त आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा 7012 2557 6537 जारी किया हुआ है जिसमें भी पूर्ण सिंह दर्ज है तथा राशन कार्ड सं0 006462200200 फोटोयुक्त जारी किया हुआ है, जिसकी नकल शामिल है, इसी प्रकार वादी सं0 2 के नाम आधार कार्ड सं0 3701 4821 7770 फोटोयुक्त बना हुआ है तथा राशन कार्ड सं0 006462200271 फोटोयुक्त जारी किया हुआ है, जिनकी नकलें शामिल है। इस प्रकार वादीगण का सही नाम पूर्ण सिंह व काका सिंह है मगर जमाबंदी में लिपिकीय भूल अथवा अन्य किसी कारणवश जैसे प्रिंटिग मिस्टेक के कारण वादी सं0 1 का नाम पर्ण सिंह के स्थान पर पूनु सिंह एवं वादी सं0 2 का नाम काका सिंह के स्थान पर काक सिंह दर्ज हो गया है। वादीगण अपनी उपरोक्त भूमि में सुधार करवाना चाहते है, जिसके लिए पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर व दिनांक 18.08.18 को जमाबंदी की नकल लेने पर उपरोक्त लिपिकीय भूल की जानकारी हुई, इस प्रकार वादीगण नाम की गलती के कारण अपने–अपने हिस्सा की भूमि में सुधार कार्य करवा पाने में असमर्थ हो रहे है, अतः वादी सं0 1 पूर्ण सिंह के लिए उपरोक्त खाता की भूमि में 1.454 हे0 खातेदारी घोषित करवाते हुए नाम की दुरूस्ती करवाना आवश्यक है तथा वादी सं0 2 काका सिंह के लिए उपरोक्त खाता की भूमि में 1.391

(मुकेश बारैठ)

हे0 को अपनी खातेदारी घोषित करवाने तथा नाम की दुरूस्ती करवाना आवश्यक हो गया है। वादीगण ने प्रतिवादी से बार–बार आग्रह किया कि वह वादी सं0 1 को उपरोक्त खाता की 1.454 हे0 का खातेदार काश्तकार काबिज व हकदार होने व वादी सं0 2 को उपरोक्त खाता की 1.391 हे0 का खातेदार काश्तकार काबिज व हकदार होने का मानकर वादी सं0 1 का नाम पुनु सिंह के स्थान पर पूर्ण सिंह तथा वादी सं0 2 का नाम काक सिंह के स्थान पर काका सिंह दर्ज करे मगर प्रतिवादी ने टालमटोल करते हुए दिनांक 23.08.18 को स्पष्ट कहा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है बल्कि उपखण्ड अधिकारी से आदेश लाने पर ही आवश्यक दुरूस्ती आदि की जा सकेगी, अतः यही बिनाए मुखासमत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है। उपरोक्त कृषि भूमि श्रीमान् न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, अतः वाद वादीगण काबिल समाअत अदालतवाला है तथा तारीख इंकारी से बिना किसी देरी के उचित न्यायशुल्क पर पेश किया जा रहा है। लिहाजा वाद वादी पेश करके अर्ज है कि वाद वादीगण, बहक वादीगण, खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें–

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीगंगानगर (राज.) *

1. डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावें कि चक 8 एच एच तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 5 / 8, मु0 न0 18,19,30 की कुल 11.638 हे0 में वादी सं0 1 के नाम दर्ज 1.454 हे0 का वादी सं0 1 को खातेदार, काश्तकार, हकदार व काबिज मानकर राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दुरूस्ती करते हुए पुनु सिंह के स्थान पर पूर्ण सिंह दर्ज करने तथा वादी सं0 2 को उपरोक्त खाता की उपरोक्त भूमि में से 1.391 हे0 का खातेदार काश्तकार काबिज व हकदार मानकर राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दुरूस्ती करते हुए काक सिंह के स्थान पर काका सिंह दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें।
2. अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हित में हो वह भी प्रदान किया जावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई।

–:: आदेश ::–

वादी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में चक 8 एच एच तह0 श्रीगंगानगर के खाता सं0 5 / 8, मु0 न0 18,19,30 की कुल 11.638 हे0 में वादी सं0 1 के नाम दर्ज 1.454 हे0 का वादी सं0 1 का राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दुरूस्ती करते हुए पुनु सिंह के स्थान पर पूर्ण सिंह दर्ज करने तथा वादी सं0 2 को उपरोक्त खाता की उपरोक्त भूमि में से 1. 391 हे0 का राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दुरूस्ती करते हुए काक सिंह के स्थान पर काका सिंह दर्ज करने का आदेश दिये जाकर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते है।

(मुकेश बारैठ)

(राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–85 / 2019
अनवान पूर्ण सिंह बनाम स्टेट)

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 06.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2020.01.01 16:00:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: